

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीपटवारी.....
व भू.अ.नि. गिछुण्ड..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा...../नायब
तहसीलदार गिछुण्ड..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सावलपुरा..... तहसील रेलमगरा..... व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077..... में खाता संख्या 70..... में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	सावलपुरा	70	प्यारीबाई पालि स्व. शोभालाल हिस्सा 116 जाति - जाट सा. डेह खा. राधिन हिस्सा - 116 (पूर्ण खाता) SBI शाखा गिछुण्ड	प्यारीबाई पालि स्व. शोभा लाल हिस्सा 116 जाति - जाट सा. डेह खा. राधिन हिस्सा - 116 (पूर्ण खाता) SBI शाखा गिछुण्ड

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 17/10/25

क्रमांक:- 412

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,